न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 42/2020

प्रार्थीगण :-

1. मदनलाल पुत्र गुदडराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. तेजाराम पुत्र भैराराम
2. बगदाराम पुत्र भैराराम
3. लीलादेवी पुत्री भैराराम
4. सायरीदेवी पत्नी भैराराम जातियान जाट निवासीगण भावी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी – श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 से 4- श्री बी आर विश्नोई, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1- सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांकः- 09/12/23

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भावी (जे. बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा, कब्जाशुदा, रेकर्डेड खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर को औद्योगिक प्रयोजनार्थ में कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और हल्का पटवारी से जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस देने को कहा गया, जिस पर हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस देखकर प्रार्थी को बताया कि भूमि खसरा नम्बर 2037, 2037/1, 2038 की तरमीम कब्जे से भिन्न स्थान पर दर्शा दी गयी है, जिस पर प्रार्थी ने हल्का पटवारी जी से निवेदन किया कि नक्शा ट्रेस में कब्जे के स्थान पर सही तरमीम की जावे, तो हल्का पटवारी जी ने प्रार्थी को बताया कि नक्शा ड्रेस में भूलवश या त्रुटीवश गलत तरमीम को दुरुस्त कराने के लिए न्यायालय में कार्यवाही करके ही किसी त्रुटी को सुधार किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी को भूमि खसरा नम्बर 2037, 2037/1 का नक्शा ड्रेस में गलत तरमीम को दुरूस्त कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1

रकबा 0.5987 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 2038 रकबा 1.1650 हैक्टेयर स्थित है। सभी पक्षकारान अलग अलग मौके अनुसार काबिज चले आ रहे है, मौके अनुसार का नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अभी दो माह पूर्व अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर का मौके अनुसार वास्तविक स्थिति का नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कराने तथा भूमि का नाप, सीमांकन व पत्थरगढी कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पास गया और अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कहा कि तहसील में चलकर आपसी सहमति से नक्शा ट्रेस में भूमि कब्जे के स्थान पर करने तथा भूमि का नाप चौप, सीमांकन व पत्थरगढी आदि कराने हेतु का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 इसके लिए तैयार नहीं हुये, जिस पर गांव वालों ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बहुत समझाया और कहा कि नक्शा ट्रेस में कब्जे के स्थान पर सही तरमीम करवा लो और भूमि का नाप चौप, सीमांकन, पत्थरगढी करवाने से अधिक भूमि को लेकर हमेशा का झगड़ा खत्म हो जायेगा, लेकिन फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नहीं माने। इस कारण प्रार्थी को अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2037, 2037/1 की नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कराने हेतु तथा भूमि का नाप, सीमांकन, पत्थरगढी कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर का राजस्व नक्शा ट्रेस जारी किया गया तब राजस्व कर्मचारी ने लिपीकीय भूलवश खसरा नम्बर 2037. 2037/1 की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा मार्क ABCD के अनुसार नही दर्शायी गयी है तथा न ही खसरा नम्बर 2038 की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा मार्क CDEF के अनुसार दर्शायी है. जबकि प्रार्थी का खसरा नम्बर 2037, 2037/1 का पूरा रकबा संलग्न नजरी नक्शा के मार्क ABCD के अनुसार पूरा होता है, जो सेटलमेन्ट के नक्शा से भी साबित होता है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 2038 रकबा 1.1650 हैक्टेयर का पूरा रकबा संलग्न नजरी नक्शा के मार्क CDEF के अनुसार पूरा होता है एवं मौके पर इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 काबिज है। अतः प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2037, 2037/1 का संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ABCD के अनुसार तरमीम दुरूस्ती कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 संख्या में ज्यादा है तथा झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की अपनी खातेदारी भूमि की आड में मौके पर अधिक भूमि पर कब्जा कर भूमि को दबाना चाहते है. इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 खसरा नम्बर 2038 रकबा 1.1650 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि से ज्यादा भूमि पर काबिज होना चाहते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2037 2037/1 के पश्चिम दिशा की ओर बनी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा जबरन खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जब

तक भूमि खसरा नम्बर 2037 2037/1, 2038 के सम्पूर्ण रकबे का नाप नही किया जाता तब तक मौके की वस्तुस्थिति सामने नही आयेगी, इस कारण नाप, सीमांकन कराने हेतु सभी रेकर्डेड खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2038 रकबा 1.1650 हैक्टेयर (संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ABCD, CDEF के अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश फरमावे। संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जाने का आदेश फरमावे तथा ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 2037 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 0.5987 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2038 रकबा 1.1650 हैक्टेयर का मौके पर नाप, सीमांकन, पत्थरगढी करने का आदेश फरमाया जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस ईमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमावे। अन्य कोई उचित आदेश प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमावे ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की ओर से वकील श्री बी आर विश्नोई द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जानबुझकर स्थानीय हल्का पटवारी को अपने असम्यक प्रभाव में लेकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2037/1 व खसरा नंबर 2038 की तरमीम रद्दोबदल करवाकर राजस्व रेकर्ड में हेरा फेरी करवाने पर आमादा होने से मौके की फिराक में है, जिससे भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। उभय पक्षकारान माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्शायी गई वर्तमान तरमीम अनुसार कब्जे काश्त में है, जबकि प्रार्थी भूमि का संपरिवर्तन करवाकर अपने इच्छित स्थान पर जबरन वाणिज्यिक प्रतिष्ठान मन माफिक स्थान पर स्थापित करने हेतु आमादा है। तरमीम वादग्रस्त आराजी बाबत सही रूप से कब्जे अनुसार होने से तरमीम में फेरबदल किया जाना न्यायहित के विपरित होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। अप्रार्थी सं. 1 से 4 मूल रूप से सदभावी काश्तकार है, जबकि प्रार्थी स्वयं सरकारी अधिकारी पद से सेवानिवृत व्यक्ति है, जो अपना सदोष लाभ प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर अपने धन बल द्वारा अप्रार्थीगण की कीमती जमीन पर अतिक्रमण कर तरमीम व्यवस्था को मिलावटी तौर पर मनमाने तरीके से फेरफार करवाकर औद्योगिक प्रतिष्ठान अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की कब्जासुद तरमीम सुदा भूमि पर कायम करने पर आमादा है। प्रार्थी किसी भी तरह से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिससे विचारणीय प्रार्थना पत्र मय खर्चे के खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 5 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी जाटावास की स्थायी जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार वाद वर्णित खसरा सं. 2037 व 2037/1 वादी मदनलाल पुत्र गुदडराम के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा वर्तमान ऑनलाईन नक्शा के अनुरूप है। नक्शा लटठा में खसरा सं. 2037 तथा खसरा सं. 2037/1 की अलग अलग तरमीम नहीं है। ऑनलाईन नक्शें में भी खसरा सं. 2038 पश्चिम दिशा में अंकित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा सं. 2037 तथा खसरा सं. 2037/1 एक ही सालम नंबर के दो भाग है, और दोनो ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं, प्रार्थी तथा अप्रार्थी के खसरे के मूल नंबर अलग अलग है इसलिए इनके बीच की तरमीम शुद्धि का कथन निरर्थक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा सेटलमेन्ट के नक्शे के अनुरूप नहीं है। क्योंकि खसरा सं. 2037 व 2038 तथा खसरा 183 सेटलमेन्ट में बने खसरे है एवं प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 2037 तथा 2037/1 दोनों एक ही आकृति में दर्शाया है। जिसमें प्रार्थी तरमीम संशोधन किस प्रकार चाहता है स्पष्ट नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा सं. 2037 तथा 2038 सेटलमेन्ट के मूल नंबर है। जिनकी तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं तथा सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाता है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। खसरा नंबर 2037 व खसरा नंबर 2037/1 में वादी रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में खसरा नंबर 2037 व खसरा नंबर 2037/1 दोनों को एक ही आकृति में दिखाया गया है जिसमें स्पष्ट अंकित नहीं है कि खसरा नंबर 2037 की आकृति व खसरा नंबर 2037/1 की आकृति में किस प्रकार तरमीम होगी। तथा वादी द्वारा खसरा नंबर 2038 की तरमीम, सीमाकंन व पत्थरगढी हेतु भी अनुतोष चाहा किन्तु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार रेकर्डेड खातेदार ही तरमीम, सीमाकंन व पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और खसरा नंबर 2038 में वादी रेकर्डेड खातेदार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौनी ट्रेस में खसरा नंबर 2038 व 2037 की तरमीम अंकित है। मौनी ट्रेस नक्शे में खसरा नंबर 2037 व खसरा नंबर 2037/1 की अलग अलग तरमीम अंकित नहीं है। मौनी ट्रेस नक्शा व वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में तरमीम समान है। प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में तथा तहसीलदार बिलाडा की

रिपोर्ट द्वारा अस्वीकार किये जाने से अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा